



2026:AHC:62581

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या -

1073/2026

साजिद हुसैन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: उमैर आलम

प्रतिपक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आज प्रस्तुत अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से वाद अपराध संख्या 240/2025, धारा 85, 115(2), 352, 109(1) एवं 64(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना-बिलारी, जनपद-मुरादाबाद में विचारण लंबित रहने के दौरान अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2026 को निम्न आदेश पारित किया गया था—

“1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक को केवल पीड़िता के प्रति अश्लील अभिप्राय रखने की भूमिका सौंपी गई थी। बाद में आरोपों को विकसित कर उसके विरुद्ध बलात्कार तथा उसे सीढ़ियों से धक्का देकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने एवं हत्या का प्रयास करने का आरोप जोड़ दिया गया, जो कि आवेदक को झूठा फँसाने का प्रयास है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप स्पष्ट थे, किन्तु उसमें आवेदक के विरुद्ध बलात्कार का कोई आरोप नहीं था। आवेदक के विद्वान वकील आगे कहते हैं कि संबंधित तारीख, यानी 17.10.2024 को, जब आवेदक पर कथित पीड़ित को छत से नीचे फेंकने में अन्य आरोपियों के साथ शामिल होने का आरोप है, तब आवेदक अपराध संख्या 232/2024 के संबंध में धारा 114(2), 121(1), 132, 127(2), 309(6), 352 और 351(2) B.N.S. के तहत जेल में बंद था। वे कहते हैं कि, रिकॉर्ड को देखने पर, आवेदक की संलिप्तता झूठी प्रतीत होती है। ऐसी परिस्थितियों में, वे प्रार्थना करते हैं कि संबंधित न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने तक उन्हें अग्रिम जमानत की राहत प्रदान की जाए।

2. विद्वान ए.जी.ए. ने उक्त तथ्य, कि घटना के समय आवेदक जेल में था, के संबंध में निर्देश प्राप्त करने हेतु समय की मांग की।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. विद्वान ए.जी.ए. को इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने हेतु दस दिन का समय प्रदान किया जाता है।
4. वाद को दिनांक 18.02.2026 को पुनः प्रस्तुत किया जाए।
5. इस बीच, थाना बिलारी, जनपद मुरादाबाद में पंजीकृत केस अपराध संख्या 240 वर्ष 2025, धारा 85, 115(2), 352, 109(1) और 64(1) बी.एन.एस. (B.N.S.) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के संबंध में आवेदक के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई (coercive action) नहीं की जाएगी।
6. आवेदक अपना संपूर्ण आपराधिक इतिहास स्पष्ट करते हुए एक विशिष्ट शपथ-पत्र (specific affidavit) भी दाखिल करेगा, क्योंकि विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (A.G.A.) द्वारा यह आपत्ति उठाई गई है कि आवेदक ने अपने विरुद्ध लंबित सभी आपराधिक मामलों का स्पष्टीकरण नहीं दिया है।”
4. आज, जब इस मामले की सुनवाई हुई, तो माननीय AGA ने बताया कि उन्होंने 17.02.2026 को एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें केस क्राइम नंबर 232/2024 में आवेदक की गिरफ्तारी की तारीख और उसे जमानत दिए जाने की जानकारी रिकॉर्ड पर लाई गई है। सब-इंस्पेक्टर, P.S. बिलारी, जिला मुरादाबाद द्वारा दायर हलफनामे के पैराग्राफ नंबर 4 में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक ने 28.08.2024 को संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और 07.11.2024 को उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
5. प्राथमिकी के अनुसार, पीड़ित को कथित तौर पर आवेदक सहित नामित अभियुक्तों द्वारा 17.10.2024 को छत से नीचे फेंक दिया गया था। प्राथमिकी में आवेदक के विरुद्ध बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इसके पश्चात, भारतीय नागरिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुरक्षा संहिता की धारा 180 के तहत दर्ज पीड़ित के बयान में, आवेदक को उस व्यक्ति के रूप में नहीं दिखाया गया था जिसने घायल को छत से नीचे फेंका बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत पीड़ित के बयान में भी बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया गया था और काफी विलंब से, धारा 183 बी.एन.एस.एस.के तहत दर्ज बयान में, आवेदक के विरुद्ध बलात्कार के आरोप लगाए गए हैं। आवेदक के आपराधिक इतिहास को विधिवत स्पष्ट कर दिया गया है। आवेदक को इस न्यायालय द्वारा अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई थी और यह कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि उसने इस न्यायालय के आदेश का दुरुपयोग किया है।

6. उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया हो सकता है, अतः वह विचारण लंबित रहने के दौरान अग्रिम जमानत पाने का अधिकारी है।
7. परिणामस्वरूप, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
8. आदेशित किया जाता है कि आवेदक—**साजिद हुसैन**, उपर्युक्त वाद अपराध में, गिरफ्तारी की स्थिति में, थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के निजी मुचलके एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन—

- (i) आवेदक आवश्यकतानुसार पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ हेतु उपलब्ध रहेगा;
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य उजागर करने से विरत हो;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv) आवेदक अभियोजन साक्षियों को प्रभावित/डराने का प्रयास नहीं करेगा;

9. उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु की गई हैं तथा वाद के गुण-दोष पर अंतिम अभिमत नहीं मानी जाएंगी।

दिनांक: 25 मार्च, 2026

ए. पांडे

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।